न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 49/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शेरदास वैष्णव पुत्र रामचन्द जाति साद निवासी फलौदी (मेडता रोड) तहसील मेडता जिला नागौर।		तहसीलदार मेडता सिटी जिला नागौर।

उपस्थिति :–

3. श्री हनुमान फिडौदा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 16.10.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2025 सरकार बनाम शेरदास वैष्णव में निर्णय दिनांक 14.07.25 के तहत मौजा लाई की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.07.25 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.07.25 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 06/25 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश/निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व बिना आवश्यकता के पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट का कथित सरकारी भूमि मौजा लाई के खसरा नम्बर 713/995 की किसी भी भूमि पर कोई कब्जा अतिक्रमण नहीं था न है जबकि वास्तविकता तो यह है कि उक्त खसरा के चिपता पश्चिम में गैर सायल/अपीलांट की कब्जासुद खरीदसुदा सहखातेदारी का खेत खसरा नम्बर 114 वाके मौजा गंगारडी में आया हुआ है जो कुल रकबा 6.1300 हैक्टयर है जिसके चारों तरफ पुराने समय से धोरा पाली बाड आदि किये हुए है और अपीलांट के खेत के चिपता ही पूर्वी तरफ ग्राम लाई की कांकड माठ लगती है व उक्त कांकड माठ पर उक्त सरकारी खसरा नम्बर 713/995 की भूमि रही है व उसके चिपते पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 713, 714, 715 वाके मौजा लाई के स्थित है और उक्त खसरा नम्बर 713, 714, 715 के खातेदारों ने अपने खेतों की सीमा को आगे बढा कर इस सरकारी भूमि खसरा नम्बर 713/995 को अपने खेतों मे दबा लिया व अब उक्त खसरा नम्बर 713/995 को अपीलांट की भूमि में होना मिथ्या दर्शाने के लिए पटवारी हल्का से सांठ गांठ करके उनको दबाव व प्रभाव मे लेकर सरासर गलत रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण बाबत बनवा कर तहसील कार्यालय मेडता में पेश करवा दी व तहसीलदार मेडता ने भी अपने स्तर पर इस संबंध में कोई जांच व नाप चोप करवाये बिना ही एकतरफा में मिथ्या रिपोर्ट को आधार बना कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

{2}(III)– पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की रिपोर्ट करने से पूर्व न तो कभी मौके पर आकर उक्त खसरा नम्बर 713/995 का नाप चोप किया न उसके पूर्वी तरफ व पश्चिमी तरफ स्थित खेतों का नाप चोप किया, यदि ऐसा नाप चोप किया जाता तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती कि उक्त भूमि कौनसे खसरे में दबी हुई है मगर ऐसा जानबूझ कर नहीं किया व अपीलांट जो कि खसरा नम्बर 114 का सहखातेदार है तथा कदीमी समय से खतौनी मे दर्ज रकबा अनुसार ही मौके पर सभी सहखातेदारों का कब्जा है इसके बावजूद अपीलांट के विरूद्व मिथ्या रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत की है व उसको आधार बना कर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो कतई विधि सम्मत नहीं है।

16/10/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–खसरा नम्बर 114 के अपीलांट के अलावा भी चार और सहखातेदार है यानि कुल 5 सहखातेदार है व भूमि खतौनी में संयुक्त खातेदार की दर्ज है इसके बावजूद कुछ खातेदारों के विरूद्ध ही अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट कर दी यानि सहखातेदारी की भूमि होते हुए भी उनमे से कुछ खातेदारों को अतिक्रमी बताना व उसके आधार पर रिपोर्ट करना व उसके आधार बनाकर निर्णय पारित कर देना कतई विधि सम्मत नहीं है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में भी कोई ध्यान दिये बिना सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

{2}(V)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, यदि जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाता व पटवारी के बयान लेकर उससे जिरह का अवसर दिया जाता व मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की स्थिति का नाप चोप कर रिपोर्ट मंगवाई जाती या स्वयं तहसीलदार अपने स्तर पर जांच करते तो ऐसा निर्णय कतई पारित नहीं हो सकता था, क्योंकि खसरा नम्बर 114 के किसी भी सहखातेदारी का उक्त सरकारी भूमि खसरा नम्बर 713/995 पर कोई कब्जा अतिक्रमण न तो कभी था न आज दिन है पीढियों से यहां कब्जा है वहीं पर रहता चला आया है मगर विपरीत दिशा मे खातेदारों द्वारा उक्त खसरा की भूमि को अपने खेतों में मिला लिया व उसे अपीलांट की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 114 में स्थापित करवाने के दुराशय से सारी एकतरफा कार्यवाही करवाई है इस कारण निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–हल्का पटवारी खेडूली ने बदनियती से बिना ना चोप किये, गलत तथ्यों के आधार पर कथित रिपोर्ट पेश की है, जबकि खसरा नम्बर 114 के तीन अलग अलग गांवों की यानि की फलोदी, लाई, व गंगारडी की सीमा लगती है। पटवारी हल्का ने अपने पद का दुरूपयोग करके अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गलत रिपोर्ट पेश की है, इसके बावजूद तहसीलदार ने इस संबंध में कोई ध्यान दिये बिना ही आदेश जैर अपील आनन फानन में पारित किया है जिससे आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा लाई की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2025 सरकार बनाम शेरदास वैष्णव में निर्णय दिनांक 14.07.25 के तहत मौजा लाई की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का खेडूली की मौका रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके लाई की बारानी 1 पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर